न्यायालय सब जज सह ए.सी.जे. एम, बारसोई, कटिहार

T.S.- 25/07

20-12-21 अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक ०६-०९-१८ जो आदेश ६ नियम १७ से संबंधित है, प्रतिउत्रर दिनांक ०२-०१-१९ पर आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी अपने आवेदन के माध्यम से कहते है कि यह वाद बँटवारा वाद है। टाइपिंग की भूल के वजह से कुछ तथ्य एवं कुछ भूमि वाद पत्र में एवं अनुसूची में लिखने में भूल हो गयी है। संशोधन के माध्यम से आवश्यक है कि वाद पत्र में उसे जोड़ा जाये। उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाद पत्र के पैरा सं० १ के पश्चात् एक नया पैरा १(ए) जोड़ा जाए, एवं १(बी) भी जोड़ा जाए, एवं पैरा सं० ५ के पश्चात एक नया पैरा ५(ए) भी जोड़ा जाए, एवं अनुतोष के पैरा में द्वितीय लाइन के बाद शब्द १/५ की जगह आठ आना प्रतिस्थापित किया जाए, एवं वाद पत्र की अनुसूची ए में खेसरा सं० २१२५ रकबा २.४६ एकड़ जोड़ा जाए एवं ०.५३ एकड़ को विलोपित कर ०.३९.७५ एकड़ जोड़ा जाए।

प्रतिवादी अपने प्रतिउत्रर के माध्यम से कहते है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है। वादी वाद में विलंब कारित करना चाहते है। इस वाद में वादी का साक्ष्य बंद किया जा चुका है एवं अभिलेख प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु लंबित है एवं वादी वाद के १२ वर्ष के पश्चात् वाद में नये तथ्यों एवं बिक्री की गयी भूमि को जोड़ना चाह रहे है। जिससे वाद की प्रकृति बदल रही है। वादी संशोधन के माध्यम से वाद में बिक्री की गयी भूमि जोडना चाह रहे है। जिससे प्रतिवादी के लिखित कथन का कोई महत्व नहीं होगा। जब वादी ने यह वाद दाखिल किया था तब विवादित संपत्ति १.८१ एकड़ थी अब वादी विवादित संपत्ति ४.१३ एकड़ भूमि को बनाना चाह रहे है। वादी के पिता खेसरा सं० २१२५, एवं १२८ ने बँटवारा के बाद खेसरा सं० २१२५ का ८२ डिसमल एवं २१२८ का १३.२५ डिसमल जमीन शूरू में ही बेंच चुके है। निबंधित केबाला सं० ११८०२, ११८०३ दिनांक ०५-०४-१९६८ के माध्यम से वादी का खेसरा सं० २१२५ एवं २१२८ में कोई भी भूमि बचा हुआ नहीं है। उक्त भूमि का बंटवारा मांग संशोधन के माध्यम से करना विधिविरूद्ध है। यह तथ्य वादी अपने वाद पत्र में भी स्वीकृत किये है कि उनके पिता के द्वारा खेसरा सं० २१२५ का १/२ भूमि वादी के पिता अपने जीवन काल में बेच चुके है। अतः वादी का यह संशोधन आवेदन खारिज किया जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वाद वर्ष २००७ का है। वाद बहुत पुराना हो चुका है। अवं अभिलेख प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य हेतु लंबित है एवं इस वाद में वाद पद का गठन दिनांक २१-०२-२०१२ को हो चुकी है एवं वादी साक्ष्य दिनांक १०-०४-२०१८ को बंद की गयी। वादी को उक्त प्रकृति का संशोधन आवेदन दाखिल करने का पर्याप्त अवसर था परन्तु वादी द्वारा संशोधन आवेदन दाखिल नहीं किया गया। वादी के द्वारा संशोधन के माध्यम से वाद पत्र में वैसी भूमि को भी जोड़ना चाह रहे है। जो पूर्व से वाद पत्र में नही है। वादी द्वारा अपने संशोधन के माध्यम से कई नई पैरा ज़ोड़ने का अनुरोध कर रहा है। वादी कई नई तथ्यों का प्रवेश संशोधन के माध्यम से वाद पत्र में करना चाह रहे है। वादी का संशोधन आवेदन पोषणीय प्रकृति का नहीं है इसलिए वादी का यह संशोधन आवेदन खारिज किया जाता है। वाद दिनांक प्रतिवादी साक्ष्य हेतु।

सब जज